भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 9— 1 / 2009 / आ0प्र0 / एक.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल म0प्र0,
ग्वालियर/समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, म0प्र0 ।

विषय :— मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 का पालन सुनिश्चित करने बाबत् ।

—0—

भूतपूर्व सैनिकों के लिये राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों में सीधी भरती से भरे जाने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक(राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 अधिनियमित किया गया है।

2/— भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी में 20 प्रतिशत हारिजेण्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाईज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही उक्त नियम के नियम — 4 के उप नियम—3 में निम्नानुसार प्रावधान है :—

" खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामस्वरूप अन्यथा भरे जाने वाले किसी पद में किसी भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित कोई भी रिक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी सामान्य अभ्यार्थी से तब तक नहीं भरी जायेगी, जब तक की उक्त प्राधिकारी ने —

(एक) रोजगार कार्यालय से (जहॉ रोजगार कार्यालय से अधियाचना की गई है) अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो,

(दो) पुनर्न्यास महानिदेशक को निर्देश करके किसी यथोचित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता सत्यापित न कर ली हो तथा उस आशय का एक प्रमाण—पत्र अभिलिखित न कर लिया हो, और

(तीन)राज्य सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त न कर लिया हो

निरंतर....2....